

प्रेषक,

डा० अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग-2


देहरादून: दिनांक: २४ सितम्बर, 2012

विषय:- महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर, देहरादून में छात्रों हेतु प्रस्तावित ओपन स्पेस वॉशरूम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1728/म०प्र०स्पो०का०पत्रा०/2011-12 दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर, देहरादून में छात्रों हेतु प्रस्तावित ओपन स्पेस वॉशरूम के निर्माण हेतु प्रस्तावित आगणन ₹20.06 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹19.32 लाख (उन्नीस लाख बत्तीस हजार) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन इतनी ही धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथाआवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं०-193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।
- उक्त कार्यो को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्यो के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं०-475/XXVII(7)/2008 दि०- 15-12-08 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी



- संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कार्य करने से पूर्व मदवार दी विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
 6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
 7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
 8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
 9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
 10. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।
 12. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 13. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यों के लिए सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
 14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के



.....(3)

आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-00-13-देहरादून में स्पोर्ट्स कालेज के भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-66(पी)/XXVII(3)/2012-13 दिनांक 18, अगस्त, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 35 /VI-2/2011-22(1)/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. प्रधानाचार्य, महाराणा स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा० खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।